विकेन्द्रीकरण व्यवस्था में कार्यों के करने में पारदर्शिता हेतु किये गये प्राविधान

पंचायतों का कार्य समितियों के माध्यम से किया जायेगा तथा निर्णय लेने का अधिकार किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को न होकर समितियों मे निहित होगा। ये समितियाँ निम्न हैं—

1. नियोजन एवं विकास समिति, 2. शिक्षा समिति, 3. निर्माण कार्य समिति, 4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, 5. प्रशासनिक समिति, 6. जल प्रबन्धन समिति।

इनमें मात्र प्रशासनिक समिति का सभापति ग्राम पंचायत प्रधान होगा तथा शिक्षा समिति में उप प्रधान एवं अन्य समितियों में ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति होंगे।

अभिलेख प्राप्त करने का अधिकार : ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत सचिव की अभिरक्षा में होंगे। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामवासी को प्रथम 5 पृष्ठ तक 5 रु० तथा अतिरिक्त पृष्ठ पर प्रति पृष्ठ 1 रु० शुल्क देकर किसी भी अभिलेख की प्रति लेने का अधिकार होगा और यदि सचिव 3 दिन में अभिलेख की प्रति नहीं उपलबध कराता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी या जिला पंचायत राज अधिकारी को करें।

ग्राम पंचायतों की बैठकें : ग्राम पंचायतों की बैठके प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी जो सम्पूर्ण प्रदेश मे माह के दूसरे बुधवार को होगी। यदि बैठकें समय से नहीं आयोजित की जाती है तो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 व 96 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है।

जिन ग्राम पंचायतों में महिलायें प्रधान हैं वहाँ ग्राम पंचायत की अध्यक्षता महिला प्रधान ही करेगी और महिला प्रधान के रिश्तेदारों का ऐसी बैठकों में प्रवेश वर्जित होगा। निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के कार्यालयों में भी सामान्यतया उनके रिश्तेदारों का प्रवेश वर्जित होगा।

ग्राम पंचायतों द्वारा अपने समस्त कार्यकलापों, प्राप्त आय, प्राप्त धनराशि तथा समस्त व्ययों का विस्तृत हिसाब-किताब रखा जायेगा और इसे ग्राम सभा की छमाही बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

ग्राम पंचायतों और उनके पदाधिकारियों द्वारा पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कार्य न करने पर राज्य सरकार के अधिकार

धारा 95 के अनुसार राज्य सरकार किसी भी अचल सम्पत्ति या निर्माण कार्य या अभिलेख का निरीक्षण करा सकती है, किसी भी विषय की जाँच करा सकती है तथा यदि ग्राम पंचायत ने पद का दुरुपयोग किया है तो उसे विघटित कर सकती है।

धारा 95 के अनुसार नियत प्राधिकारी ग्राम पंचायत को ऐसे कार्यों को करने से रोक सकता है जिससे जन शांति में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गये कार्य

1. ग्राम्य विकास के कार्यक्रम : क्षेत्र-पंचायत स्तर से चलाये जाने वाले ग्राम्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन क्षेत्र-पंचायतों द्वारा किया जायेगा। ग्राम्य विकास के कार्यो को सम्पादित करने वाले विकास खण्ड स्तरीय सभी अधिकारी एवं कर्मचारी क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे। विकास खण्ड स्तरीय ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवश्यक धनराशि सीधे क्षेत्र-पंचायतों को दी जायेगी।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र : विकास खण्ड स्तर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र-पंचायतों के स्वामित्व में होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन क्षेत्र-पंचायतों द्वारा किया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र-पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि, दवाईयाँ तथा अन्य सामग्री क्षेत्र-पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3. पशु चिकित्सालय : विकास खण्ड स्तर पर स्थित पशु चिकित्सालय क्षेत्र-पंचायतों के स्वामित्व में होंगे। पशु चिकित्सालय का संचालन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जायेगा। पशु चिकित्सालय के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र-पंचायत के नियंत्रण मे कार्य करेंगे। पशु चिकित्सालय से सम्बन्धित कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि, दवाईयाँ तथा अन्य सामग्री क्षेत्र-पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

4. बीज केन्द्र : विकास खण्ड स्तर पर स्थित बीजकेन्द्र क्षेत्र-पंचायतों के स्वामित्व में होंगे। बीज केन्द्र का संचालन क्षेत्र-पंचायत